भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1183
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में आत्महत्या की घटना

1183. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में ऊपर से कूदकर आत्महत्या करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कोई ऊपर से जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त व्यक्ति पर कोई प्रशासनिक, आधिकारिक या कार्य से संबंधित दबाव था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या उक्त व्यक्ति से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) पिछले पांच वर्षों में सरकार के संज्ञान में आई ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है; और

(ज) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हां, इस मामले में साकेत पुलिस स्टेशन में अन्वेषण किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 09.01.2026 को लगभग 10:23 बजे, साकेत न्यायालय परिसर की मुख्य इमारत की छत से एक व्यक्ति के गिरने के संबंध में

एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी । स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पाया कि घायल व्यक्ति हरीश सिंह महर (डिजिटल ट्रैफिक न्यायालय नंबर 27 में अहलमद) पुत्र लक्ष्मण सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष निवास स्थान एच.नं. बी 921, द्वितीय तल ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद में पहले ही दिल्ली के मालवीय नगर स्थित पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

अपराध टीम द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया, विभिन्न नमूने और प्रदर्शों को कब्जे में लिया गया, और फोटोचित्र लिए गए । शव परीक्षा एम्स, नई दिल्ली में संचालित की गई थी । सीसीटीवी फुटेज की परीक्षा की गई और सुसंगत व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए। किसी प्रकार की बेईमानी सामने नहीं आई ।

(ग) से (च) : पुलिस आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उपस्थित चिकित्सक द्वारा मृतक की जेब से एक आत्महत्या पत्र बरामद किया गया था। पत्र-वस्तु के अनुसार, मृतक ने आत्महत्या के कारण के रूप में कार्य से संबंधित दबाव का उल्लेख किया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। मृतक, जो जन्म से 60% शारीरिक रूप से विकलांग थे, ने अनुरोध किया कि विकलांग व्यक्तियों को आसान कर्तव्यों को सौंपा जाए।

(छ) : सरकार न्यायालय परिसर में विशेष रूप से आत्महत्या का डाटा नहीं रखती है ।

(ज) : न्यायालय परिसरों में सभी पणधारियों की सुरक्षा और संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। न्यायालय सुरक्षा और न्यायालय परिसरों का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन संबंधित उच्च न्यायालय के समन्वय से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारक्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार डिजिटल अवसंरचना सहित न्यायालय की अवसंरचना में लगातार सुधार के लिए सभी पणधारियों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि न्यायालयों के कुशल कार्यशीलता को सुनिश्चित करते हुए न्यायालय में कार्य करने की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

****